

फ़ा. संख्या सीबीआईसी-20001/14/2024 जीएसटी

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड

जीएसटी पॉलिसी विंग

नॉर्थ ब्लॉक , नई दिल्ली

तारीख : 31 दिसंबर, 2024

सेवा में,

सभी प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर।

सभी प्रधान महानिदेशक/महानिदेशक ।

महोदया/महोदय,

विषय: अपंजीकृत प्राप्तकर्ताओं को सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की गई 'ऑनलाइन' सेवाओं की आपूर्ति के स्थान के विषय में स्पष्टीकरण-के संदर्भ में।

क्षेत्रीय संरचनाओं से ऐसे संदर्भ प्राप्त हुए हैं कि आपूर्तिकर्ताओं द्वारा स्वयं अथवा इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय संचालकों के माध्यम से अपंजीकृत प्राप्तकर्ताओं को दी जाने वाली ऑनलाइन सेवाओं के इनवॉइस पर सटीक स्थान को अनिवार्य रूप से दर्ज करने के प्रावधानों का, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे बाद में "आईजीएसटी अधिनियम" कहा जाएगा) की धारा 12(2)(बी) के साथ केंद्रीय माल और सेवा नियम, 2017 (जिसे बाद में "सीजीएसटी नियम" कहा जाएगा) के नियम 46 के प्रावधानों के गलत विवरण के कारण अनुपालन नहीं हुआ है। यह भी उल्लेख किया गया है कि जबकि अपंजीकृत प्राप्तकर्ताओं को दी जाने वाली सेवाओं की कर योग्य ऑनलाइन आपूर्ति के ऐसे मामलों में, पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं को इनवॉइस पर प्राप्तकर्ता के राज्य का नाम लिखना आवश्यक है, भले ही ऐसी आपूर्ति का मूल्य कुछ भी हो, और आईजीएसटी अधिनियम की धारा 12(2)(बी) के खंड (i) के प्रावधानों के अनुसार प्राप्तकर्ता के राज्य के रूप में ऐसी सेवाओं की आपूर्ति का स्थान घोषित करना होगा, लेकिन कई आपूर्तिकर्ता इनवॉइस पर अपंजीकृत प्राप्तकर्ता का राज्य का नाम दर्ज नहीं कर रहे हैं और आईजीएसटी अधिनियम की धारा 12(2)(बी) के खंड (ii) के अनुसार आपूर्तिकर्ता के स्थान का इन सेवाओं की आपूर्ति का स्थान घोषित कर रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप आपूर्ति के स्थान की गलत घोषणा हो रही है, जिसके परिणामस्वरूप कथित आपूर्ति के संबंध में राजस्व का गलत राज्य में संग्रहण हो रहा है। इस मुद्दे को स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया है, ताकि अपंजीकृत प्राप्तकर्ताओं को ऐसी सेवाओं के आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति के स्थान की सही घोषणा सुनिश्चित की जा सके।

2. मुद्दे को स्पष्ट करने और क्षेत्रीय संरचनाओं में कानून के प्रावधानों के कार्यान्वयन में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए, बोर्ड, केंद्रीय माल और सेवा अधिनियम, 2017 (जिसे बाद में "सीजीएसटी अधिनियम" कहा जाएगा) की धारा 168(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित स्पष्टीकरण जारी करता है।

3. वैधानिक प्रावधान

3.1 आईजीएसटी अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (17) के अनुसार, 'ऑनलाइन सूचना और डेटाबेस एक्सेस या पुनःप्राप्ति सेवाओं' का अर्थ है:

"ऐसी सेवाएँ जिनका वितरण इंटरनेट या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर सूचना प्रौद्योगिकी की मध्यस्थता द्वारा की जाती है और जिनकी प्रकृति उनकी आपूर्ति को अनिवार्य रूप से स्वचालित करना है और इसमें कम से कम मानवीय हस्तक्षेप शामिल होता है और सूचना प्रौद्योगिकी की अनुपस्थिति में सुनिश्चित करना असंभव है और इसमें इलेक्ट्रॉनिक सेवाएँ शामिल हैं जैसे,—

(i) इंटरनेट पर विज्ञापन;

(ii) क्लाउड सेवाएँ प्रदान करना;

(iii) दूरसंचार नेटवर्क या इंटरनेट के माध्यम से ई-पुस्तकें, फिल्म, संगीत, सॉफ्टवेयर और अन्य अमूर्त वस्तुओं का प्रावधान;

(iv) कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक रूप में डेटा या सूचना, पुनः प्राप्त करने योग्य या कैसे भी, प्रदान करना;

(v) डिजिटल सामग्री (फिल्में, टेलीविजन शो, संगीत और इसी तरह की अन्य सामग्री) की ऑनलाइन आपूर्ति;

(vi) डिजिटल डेटा भंडारण; और

(vii) ऑनलाइन गेमिंग; केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 2 के खंड (80 बी) में परिभाषित ऑनलाइन मनी गेमिंग को छोड़कर

3.2 'इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय' शब्द को सीजीएसटी अधिनियम की धारा 2(44) के अंतर्गत निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

"इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय " का अर्थ डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर डिजिटल उत्पादों सहित माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति है;"

3.3 ' इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय संचालक ' शब्द को सीजीएसटी अधिनियम की धारा 2 (45) के तहत निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

"इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय संचालक" का तात्पर्य ऐसे किसी व्यक्ति से है जो इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय के लिए डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक सुविधा या प्लेटफॉर्म का स्वामित्व, संचालन या प्रबंधन करता है;"

3.4 आईजीएसटी अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) इस प्रकार है:

"(1).....

(2) उप-धारा (3) से (14) में निर्दिष्ट सेवाओं को छोड़कर, सेवाओं की आपूर्ति का स्थान

(क) पंजीकृत व्यक्ति को दी जाने वाली सेवाओं के लिए उस व्यक्ति का स्थान होगा;

(ख) पंजीकृत व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को दी गई सेवाओं का स्थान निम्नानुसार होगा, -

(i) प्राप्तकर्ता का स्थान जो रिकॉर्ड में मौजूद है; और

(ii) अन्य मामलों में सेवाओं के आपूर्तिकर्ता का स्थान।"

3."

3.5 सीजीएसटी अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (2) के अनुसार,

"(1)

(2) कर योग्य सेवाएं प्रदान करने वाला पंजीकृत व्यक्ति, सेवा के प्रावधान से पहले या बाद में, लेकिन एक निर्धारित अवधि के अंदर, कर इनवॉइस जारी करेगा, जिसमें ब्यौरा, मूल्य, उस पर लगाए गए कर और ऐसे अन्य विवरण दर्शाए जाएंगे, **जो निर्धारित किए जा सकते हैं:"**

3.6 सीजीएसटी नियमों के नियम 46 में निम्नलिखित प्रावधान है:

"नियम 46. कर इनवॉइस -

नियम 54 के अधीन, धारा 31 में निर्दिष्ट कर इनवॉइस पंजीकृत व्यक्ति द्वारा जारी किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित विवरण होंगे, अर्थात्,-

.....

.....

(च) प्राप्तकर्ता का नाम और ठिकाना तथा डिलीवरी का ठिकाना, राज्य का नाम और उसका कोड, यदि वह प्राप्तकर्ता अपंजीकृत है और जहां कर योग्य आपूर्ति का मूल्य पचास हजार रुपए से कम है और प्राप्तकर्ता अनुरोध करता है कि ऐसे विवरण कर इनवॉइस में दर्ज किए जाएं;

बशर्ते कि ऑनलाइन मनी गेमिंग की आपूर्ति से संबंधित मामलों में या ऐसे मामलों में जहां कोई कर योग्य सेवा इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय संचालक द्वारा या ऑनलाइन सूचना के आपूर्तिकर्ता के द्वारा और डेटाबेस एक्सेस या अपंजीकृत प्राप्तकर्ता को पुनर्प्राप्ति सेवाएँ ऐसी आपूर्ति के मूल्य पर ध्यान दिए बिना, पंजीकृत व्यक्ति द्वारा जारी कर इनवॉइस में प्राप्तकर्ता के राज्य का नाम शामिल होगा और उसे प्राप्तकर्ता के रिकॉर्ड में दर्ज ठिकाना माना जाएगा;

.. .. .

4. स्पष्टीकरण:

4.1 आईजीएसटी अधिनियम की धारा 12 में यह प्रावधान है कि उक्त धारा की उप-धारा (3) से (14) में निर्दिष्ट मामलों को छोड़कर, जब पंजीकृत व्यक्ति को सेवाएँ आपूर्ति की जाती हैं, तो सेवाओं की आपूर्ति का स्थान, प्राप्तकर्ता का स्थान होगा और **जब अपंजीकृत व्यक्ति को सेवाओं की आपूर्ति की जाती है, तो कथित सेवाओं की आपूर्ति का स्थान प्राप्तकर्ता का स्थान होगा, यदि उसका ठिकाना रिकॉर्ड में उपलब्ध है**, और यदि ठिकाना रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है, तो आपूर्तिकर्ता का स्थान होगा।

4.2 सीजीएसटी अधिनियम की धारा 31(2) में प्रावधान है कि कर योग्य सेवाएँ प्रदान करने वाले पंजीकृत व्यक्ति को, सेवा विवरण, मूल्य, लगाए गए कर और अन्य निर्धारित विवरणों के साथ कर इनवॉइस जारी करना होगा।

4.3 सीजीएसटी नियमों के नियम 46 में कर इनवॉइस पर उल्लेखित किए जाने वाले विवरण दिए गए हैं। उक्त नियम के खंड (च) में अपंजीकृत प्राप्तकर्ता को की गई आपूर्ति के मामले में इनवॉइस पर कुछ विवरण का उल्लेख करने का प्रावधान है। इसके अलावा, सीजीएसटी नियमों के नियम 46 के खंड (च) के प्रावधान में यह उल्लेख है कि ऑनलाइन मनी गेमिंग की आपूर्ति से संबंधित मामलों में या इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय संचालक द्वारा या उसके माध्यम से या ऑनलाइन सूचना और डेटाबेस एक्सेस या पुनर्प्राप्ति सेवाओं के आपूर्तिकर्ता द्वारा किसी अपंजीकृत प्राप्तकर्ता को किसी भी कर योग्य सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित मामलों में, उक्त आपूर्ति के मूल्य पर ध्यान दिए बिना, पंजीकृत आपूर्तिकर्ता द्वारा जारी कर इनवॉइस में प्राप्तकर्ता के राज्य का नाम शामिल होना चाहिए। उक्त प्रावधान में यह भी उल्लेख है कि उस राज्य का नाम प्राप्तकर्ता के अभिलेख में दर्ज ठिकाना माना जाएगा।

4.4 आईजीएसटी अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के खंड (ख) और सीजीएसटी अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (2) और सीजीएसटी नियमों के नियम 46(च) के प्रावधान से यह निष्कर्ष निकलता है कि अपंजीकृत व्यक्तियों को दी गई सेवाओं की आपूर्ति के संबंध में, उक्त आपूर्ति के मूल्य पर ध्यान दिए बिना, आपूर्तिकर्ता को कर इनवॉइस पर अपंजीकृत प्राप्तकर्ता के राज्य का नाम अनिवार्य रूप से दर्ज करना आवश्यक है, जो ऑनलाइन मनी गेमिंग की आपूर्ति या इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय संचालक द्वारा या उसके माध्यम से कर योग्य सेवाओं की आपूर्ति या ऑनलाइन सूचना और डेटाबेस एक्सेस या पुनर्प्राप्ति (ओआईडीएआर) सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित मामलों में है। सेवाओं की ऐसी आपूर्ति के संबंध में कर इनवॉइस पर अपंजीकृत प्राप्तकर्ता के राज्य का नाम दर्ज करना, आईजीएसटी अधिनियम की धारा 12(2)(ख) के तहत उक्त सेवाओं की आपूर्ति के स्थान के निर्धारण के प्रयोजन के लिए प्राप्तकर्ता के रिकॉर्ड पर दर्ज ठिकाने के रूप में माना जाएगा। तदनुसार, ऐसे मामलों में, ऐसी सेवाओं की आपूर्ति का स्थान आईजीएसटी अधिनियम की धारा 12(2)(ख) के खंड (i) के प्रावधानों के अनुसार सेवाओं के प्राप्तकर्ता का स्थान माना जाएगा।

4.5 यह भी देखा गया है कि सीजीएसटी अधिनियम की धारा 2(44) और धारा 2(45) के अनुसार 'इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय' और 'इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय संचालक' की परिभाषाओं के साथ-साथ सीजीएसटी नियमों के नियम 46(च) को पढ़ने से यह ज्ञात होता है कि डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर अपंजीकृत प्राप्तकर्ताओं को दी जाने वाली सभी सेवाएँ, चाहे आपूर्तिकर्ता द्वारा अपनी डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक सुविधा/प्लेटफॉर्म का उपयोग करके या किसी स्वतंत्र 'इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय संचालक' के स्वामित्व वाले और संचालित किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, सीजीएसटी नियमों के नियम 46(च) के प्रावधान के अंतर्गत शामिल की जाएगी।

4.5.1 यह स्पष्ट किया जाता है कि सीजीएसटी नियमों के नियम 46(च) के प्रावधान, गैर-पंजीकृत प्राप्तकर्ता को प्रदान की गई सेवाओं की सभी ऑनलाइन आपूर्ति के साथ ऑनलाइन मनी गेमिंग और ओआईडीएआर सेवाओं की आपूर्ति के संबंध में लागू होंगे। ऐसी सेवाओं के कुछ उदाहरण हैं ई-समाचारपत्रों और ई-पत्रिकाओं की सदस्यता, मनोरंजन सेवाओं की ऑनलाइन सदस्यता (जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म), ऑनलाइन दूरसंचार सेवाएँ, मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से डिजिटल सेवाएँ आदि।

इसलिए, अपंजीकृत प्राप्तकर्ताओं को ऐसी किसी भी ऑनलाइन/डिजिटल सेवाओं, ओआईडीएआर सेवाओं और ऑनलाइन मनी गेमिंग की आपूर्ति के संबंध में, आपूर्तिकर्ताओं को अनिवार्य रूप से कर इनवॉइस पर प्राप्तकर्ता के राज्य का नाम दर्ज करना आवश्यक है, भले ही ऐसी सेवाओं की आपूर्ति का मूल्य कुछ भी हो, और फॉर्म जीएसटीआर-1/1ए में बाहरी आपूर्ति के अपने विवरण में प्राप्तकर्ता के स्थान के रूप में उक्त सेवाओं की आपूर्ति का स्थान घोषित करना आवश्यक है (प्राप्तकर्ता के राज्य के नाम के आधार पर)।

4.5.2 ऐसी ऑनलाइन सेवाओं के लिए अपंजीकृत व्यक्तियों को की गई आपूर्ति के संबंध में कर इनवॉइस पर प्राप्तकर्ता के राज्य का नाम दर्ज करने के प्रयोजन के लिए, आपूर्तिकर्ता को अपंजीकृत प्राप्तकर्ता को कोई भी आपूर्ति करने से पहले उससे ऐसे विवरण एकत्र करना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त युक्ति तैयार करनी चाहिए। जैसा कि ऊपर बताया गया है, ऐसे मामलों में, प्राप्तकर्ता के राज्य का नाम रिकॉर्ड पर उपलब्ध प्राप्तकर्ता का ठिकाना माना जाएगा और इस प्रकार, उक्त सेवाओं की आपूर्ति के स्थान का निर्धारण करने के लिए, आईजीएसटी अधिनियम की धारा 12 (2) (ख) (i) के प्रावधान लागू होंगे जिसके अनुसार आपूर्ति का स्थान प्राप्तकर्ता का स्थान होगा।

4.5.3 यह भी बताया गया है कि यदि आपूर्तिकर्ता ऐसी आपूर्ति के संबंध में अपंजीकृत प्राप्तकर्ता के राज्य का नाम दर्ज करने सहित सही अनिवार्य विवरण दर्ज न करके उक्त प्रावधानों के अनुसार इनवॉइस जारी करने में विफल रहता है, तो वह सीजीएसटी अधिनियम की धारा 122(3)(ड) के प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी हो सकता है।

5. अनुरोध है कि इस परिपत्र की विषय-वस्तु को सार्वजनिक करने के लिए उपयुक्त व्यापार नोटिस जारी किए जाएं।
6. यदि इस परिपत्र के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई हो तो उसे बोर्ड के ध्यान में लाया जाए।

(संजय मंगल)

प्रधान आयुक्त (जीएसटी)

